न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/192

रघुनाथ पुत्र लक्ष्मण जाति मेघवाल निवासी ग्राम रीछड़िया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज.

——अपीलांट

बनाम

1. लविश धानिया पुत्र बालमुकन जर्ये माता किरण कुमारी पत्नी बालमुकन जाति मेघवाल निवासी रीछड़िया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज.
2. कालूलाल पुत्र लक्ष्मण जाति मेघवाल
3. जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मन जाति मेघवाल
4. गांगी बाई पत्नी लक्ष्मन जाति मेघवाल
5. सुमित्रा बाई पुत्री लक्ष्मन जाति मेघवाल
6. गिरीराज पुत्र मन्ना लाल जाति मेघवाल
7. विनोद पुत्र मन्ना लाल जाति मेघवाल
8. नन्दूबाई पुत्री मन्ना लाल जाति मेघवाल
9. ममता बाई पुत्री मन्ना लाल जाति मेघवाल
10. सन्तोष बाई पत्नी स्व. मन्ना लाल जाति मेघवाल
11. सुहाग बाई पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल
12. पुरी लाल पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल
13. धापू बाई पत्नी रघुनाथ जाति मेघवाल
    निवासीगण रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज. फूलचन्द पुत्र दुलीचन्द जाति मेघवाल निवासी बुरन खेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज.
14. बालमुकन पुत्र रघुनाथ जाति धाकड़
15. धीरेन्द्र पुत्र रघुनाथ जाति धाकड़ निवासी रीछड़िया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज.
16. राजस्थान सरकार जर्ये तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज.

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–1. श्री बी.सी.मालवीय, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 29.09.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 33/2023 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के दादा अप्रार्थी कम 1 एवं अप्रार्थी कम 2 लगायत 5 के शामलाती खातेदारी स्वामित्व की आराजी वाके माल ग्राम रीछडिया पटवार हल्का रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान के खाता संख्या 303 में स्थित खसरा नं. 1062 की रकबा 0.13 है०, खसरा नं. 1063 की रकबा 0.01 है०, खसरा नं. 1128 की 0.87 है०, खसरा नं. 919 की रकबा 0.05 है० कुल किता 4 की रकबा 1.06 है० भूमि दर्ज खाता है। जिसमे अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/5 दर्ज खाता है। अप्रार्थी कम 1 लगायत 12 के शामलाती खातेदारी स्वामित्व की आराजी वाके माल ग्राम रीछडिया पटवार हल्का रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान के खाता संख्या 168 में स्थित खसरा नं. 1127 की रकबा 0.01 है० किस्म गै०म० चाह, खसरा नं. 1485/919 की रकबा 0.02 है० कुल किता 2 की रकबा 0.03 है० भूमि दर्ज खाता है। जिसमे अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/10 दर्ज खाता है। अप्रार्थी कम 1 के शामलाती खातेदारी स्वामित्व की आराजी वाके माल ग्राम रीछडिया पटवार हल्का रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान के खाता संख्या 305 में स्थित खसरा नं. 1364/1425 की रकबा 0.65 है० भूमि दर्ज खाता है। अप्रार्थी कम 13 व 14 के शामलाती खातेदारी स्वामित्व की आराजी वाके माल ग्राम रीछडिया पटवार हल्का रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान के खाता संख्या 176 में स्थित खसरा नं. 1364 की रकबा 1.72 है0 किस्म माल प्रथम भूमि दर्ज खाता है। जिसमे अप्रार्थी कम 13 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। अप्रार्थी कम 13 के खातेदारी स्वामित्व की आराजी वाके माल ग्राम रीछडिया पटवार हल्का रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान के खाता संख्या 420 में स्थित खसरा नं. 1115 की रकबा 0.65 है० भूमि दर्ज खाता है। अप्रार्थी कम 1 के शामलाती खातेदारी स्वामित्व की आराजी वाके माल ग्राम छत्रपुरा पटवार हल्का रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान के खाता संख्या 168 में स्थित खसरा नं. 191 की रकबा 0.36 है०, खसरा नं. 192 की रकबा 0.27 है0, खसरा नं. 193 की रकबा 0.83 है०, खसरा नं. 206 की रकबा 0.24 है०, खसरा नं. 207 की रकबा 0.29 है०, खसरा नं. 212 की रकबा 0.01 है० किस्म गै०मु०चाह, खसरा नं. 213 की रकबा 0.64 है० कुल किता 7 की रकबा 2.64 है0 भूमि दर्ज खाता है। अप्रार्थी कम 1 के द्वारा जयें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2018 को एक कृषि भूखण्ड वाके ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी के खसरा नं. मिन 3143 जिसके नये खसरा नं. 3423/3143 की रकबा 0.11 है० कृषि भूमि राजनगर ब्लॉक ए मे कायम भूखण्ड संख्या ए–40 साईज 30 बाई 40 कुल 1200 वर्गफुट क्षेत्रफल का कॉर्नर खाली भूखण्ड कय कर कब्जा किया गया है। उक्त भूखण्ड भी प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति होने से एवं प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 का सहदायिक पोत्र होने से उक्त कृषि भूखण्ड मे प्रार्थी का हिस्सा 1/4 निहित है। अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी के दादा है और अप्रार्थी कम 13

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रार्थी की दादी है एवं अप्रार्थी कम 15 प्रार्थी का पिता है। प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 व 13 का पोत्र है एवं उनका सहदायिक है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 लगायत 7 मे वर्णित भूमियां प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमे हिन्दू उत्तराधिकार के अन्तर्गत प्रार्थी का जन्म से ही अधिकार निहित है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियां कृषि भूमियों मे से प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थी का जन्म से हिस्सा 1/20 (0.053 है०) निहित है एवं अप्रार्थी कम 1, 15, 16 का प्रत्येक का हिस्सा 1/20 निहित है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 मे प्रार्थी का जन्म से हिस्सा 1/40 (0.00075 है०) निहित है एवं अप्रार्थी कम 1, 15, 16 का प्रत्येक का हिस्सा 1/40 निहित है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की मद नं. 4 मे प्रार्थी का जन्म से हिस्सा 1/4 (0.1625 है०) निहित है एवं अप्रार्थी कम 1, 15, 16 का प्रत्येक का हिस्सा 1/8 निहित है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 मे प्रार्थी का जन्म से हिस्सा 1/8 (0.2150 है0) निहित है एवं अप्रार्थी कम 13, 15, 16 का प्रत्येक का हिस्सा 1/8 निहित है इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की मद नं. 6 मे प्रार्थी का जन्म से हिस्सा 1/4 (0.1625 है०) निहित है एवं अप्रार्थी कम 13, 15, 16 का प्रत्येक का हिस्सा 1/8 निहित है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की मद नं. 7 मे प्रार्थी का जन्म से हिस्सा 1/12 (0.22 है०) निहित है एवं अप्रार्थी कम 1, 15, 16 का प्रत्येक का हिस्सा 1/12 निहित है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की मद नं. 8 मे वर्णित कृषि भूखण्ड संख्या ए–40 मे प्रार्थी का जन्म से हिस्सा 1/4 (300 वर्गफुट कॉर्नर) निहित है। एवं अप्रार्थी कम 1, 15, 16 का प्रत्येक का हिस्सा 1/4 निहित है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी कम 15 द्वारा प्रार्थी की प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमती किरण कुमारी पत्नि श्री बालमुकन से विधिवत रूप से विवाह विच्छेद किये बिना ही अवैधानिक रूप से एक अन्य विजातीय महिला सुनिता पत्नि सुरेश कुमार जाति किराड़ निवासी रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा से अवैध प्रेम विवाह कर लिया है और वह उक्त महिला के साथ ग्राम रीछडिया में निवास कर रहा है और अप्रार्थी कम 15 के द्वारा प्रार्थी एवं उसकी माता श्रीमती किरण कुमारी का परित्याग कर दिया है एवं अप्रार्थी कम 15 व अप्रार्थी कम 1 के द्वारा प्रार्थी एवं उसकी माता श्रीमती किरण कुमारी का किसी भी प्रकार से भरण पोषण नही किया जा रहा है जिसकी वजह से प्रार्थी एवं उसकी माता को दर बदर की ठोकरे खाने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है इस सम्बन्ध में प्रार्थी की माता के द्वारा अभियुक्त कम 1, 13, 15, 16 व अन्य परिजनो एवं सुनिता किराड़ के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाया जा चुका है। अप्रार्थी कम 1 के साथ मिलकर अप्रार्थी कम 13, 15, 16 व सुनिता किराड़ आपराधिक षडयंत्र पूर्वक प्रार्थी एवं उसकी माता को प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति से वंचित करना चाहते है इसीलिये अप्रार्थी कम 1 व 13, 15, 16 व सुनिता ने प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 लगायत 8 मे वर्णित सम्पत्तियों को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय करने व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने हेतु दलालो से सम्पर्क करना प्रारम्भ कर दिया है एवं अप्रार्थी कम 15 के द्वारा सुनिता किराड़ से आपराधिक कृत्य करके किये गये अवैध विवाह के सम्बन्ध मे आलेखित नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र दिनांक 07.06.2023 मे अंकित तथ्यो के अनुरूप मद नं.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

9 में वर्णितानुसार अप्रार्थी कम 15 अप्रार्थी कम 1 व 13 की प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 लगायत 8 में वर्णित सम्पत्तियों को उक्त अवैध विवाह से उत्पन्न होने वाली संतानो को हिस्सा देने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी कम 1 व 13, 15 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है क्योकि प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 व 13 का वैध उत्तराधिकारी होकर उसका सहदायिक एवं सगा पोत्र है एवं अप्रार्थी कम 15 का वैध उत्तराधिकारी पुत्र है जिसे जन्म से ही उक्त सम्पत्तियों में कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी कम 1, 13, 15 के द्वारा अवैधानिक रूप से प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 लगायत 8 मे वर्णित सम्पत्तियों को विकय अथवा अन्य किसी प्रकार से दीगर व्यक्तियो को हस्तान्तरित कर दिया अथवा अप्रार्थी कम 15 के द्वारा सुनिता किराड़ से किये गये अवैध विवाह से उत्पन्न होने वाली संतानो को अधिकार प्रदान कर दिया तो प्रार्थी उसकी पैतृक सम्पत्ति के हिस्से को प्राप्त करने से वंचित हो जावेगा एवं प्रार्थी एवं उसकी माता को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में संभव नही हो सकेगी। उपरोक्त परिस्थितियो मे प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 लगायत 8 मे वर्णित भूमियों में प्रार्थी स्वयं को अप्रार्थी कम 1 व 13 का सहदायिक पोत्र होने की हैसियत से प्रार्थना पत्र की मद नं. 8 मे वर्णितानुसार प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 मे हिस्सा 1/20 (0.053 है०) एवं प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 मे हिस्सा 1/40 (0.00075 है०) एवं प्रार्थना पत्र की मद नं. 4 मे हिस्सा 1/4 (0.1625 है०) एवं प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 मे हिस्सा 1/8 (0.2150 है०) एवं प्रार्थना पत्र की मद नं. 6 में हिस्सा 1/4 (0.1625 है०) एवं प्रार्थना पत्र की मद नं. 7 में हिस्सा 1/12 (0.22 है०) एवं प्रार्थना पत्र की मद नं. 8 में वर्णित कृषि भूखण्ड संख्या ए–40 मे वादी का हिस्सा 1/4 (300 वर्गफुट कॉर्नर) का स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करावे एवं प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 लगायत 7 मे वर्णित भूमियों का बाय मीट्स एण्ड बाउण्ड अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी का विभाजन करवाकर पृथक से दखल प्राप्त करे एवं पृथक से खाता कायम करवाकर लगान राज भी पृथक से दर्ज करावे एवं प्रार्थना पत्र की मद नं. 8 मे वर्णित कृषि भूखण्ड का विभाजन करवाकर उक्त भूमि मे प्रार्थी के हिस्से की भूमि 300 वर्गफुट भूखण्ड पर पृथक से दखल प्राप्त करे। एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 16 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रदान की जावे कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 लगायत 8 में प्रार्थी को विभाजन मे प्राप्त भूमि व भूखण्ड मे प्रार्थी के हिस्से आराजी मे किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नही करे एवं उक्त भूमियों का प्रार्थी को उपयोग उपभोग करने से वंचित नही करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावे। वाद कारण अप्रार्थी कम 15 के द्वारा सुनिता किराड़ नाम की विजातीय महिला से दिनांक 07.06.2023 को अवैध प्रेम विवाह कर लिये जाने से एवं प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 लगायत 8 मे वर्णित भूमियों को दीगर व्यक्तियो को विक्रय कर खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से दलालो से सम्पर्क करने एवं प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि का विभाजन कर भूमि पर पृथक देने से मना करने पर हर समय उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया बहुत ही सुदृढ केस है तथा सुविधाओ का

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 लगायत 8 में वर्णित आराजी व भूखण्ड को रहन वैय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप मे नही हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 लगायत 8 मे वर्णित आराजी को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधी से करावे तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे, अप्रार्थीगण से प्रार्थी को दिलवाई जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2025 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के मोके व राजस्व रिकॉर्ड यथास्थिति कायम रखे जाने का आदेश पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलांट बीमार होने के कारण नियत समयावधि में अपील पेश नहीं कर सका। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हए विलम्ब को क्षमा किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। चूकि रेस्पोडेन्ट एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए है अतः अपीलांट के कथनों का किसी प्रकार कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2025 कानून, न्याय एंव तथ्यो के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यानपूर्वक पत्रावली का अवलोमन किये बिना ही विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी (प्रार्थी) के वाद मे धारा 212 आर टी एक्ट प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुनवाई कर दिनांक 18–9–2023 को विवादित आराजीयात पर यथा स्थिति का आदेश पारित कर दिया जबकी वादी (प्रार्थी) का विवादित आराजियात पर ना तो कब्जा है ओर ना ही प्रास्थिति खातेदार की है ऐसी स्थति में अधीनस्थ नयायालय द्वारा पारित आदेश विधी विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ मे गलत तथ्य अंकित किये गये है क्योंकि अप्रार्थी क्रम 1 (अपीलांट) द्वारा तलबी होने के उपरान्त दिनांक 14–10–2024 को वाद में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी सी प्रस्तुत किया था जो विधाराधीन है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र 4/5 212 आर टी एक्ट मे उक्त प्रार्थना पत्र का उल्लेख किया गया है तथा आदेशिकाओ मे भी में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11सी पीसी के जवाब बहस में कार्यवाही किए जाने का उल्लेख है तथा दिनांक 21/2/2025 को अधीनस्त न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सी पी सी को निरस्त कर बिना अप्रार्थी क्रम 1 (अपीलांट) की बहस सुनकर दिनांक 18/9/2023 के आदेश को अंतिम निस्तारण वाद पुख्ता कर पत्रवाली को फैसल कर दिया, जबकि

मूल वाद मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सी. पी. सी. विचाराधीन है। इसी प्रकार बिना बहस सुने अधीनस्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधी विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर भी गौर नहीं किया गया कि विवादित आराजियात अप्रार्थी क्रम 1 (अपीलान्ट) तथा अप्रार्थी क्रम 13 की स्वअर्जित सम्पति है, जिस पर खातेदार के जीवनकाल में किसी भी वारिसान की कोई प्रविधिक आधीकार प्राप्त नही है इसके बावजूद भी अधीनस्त न्यायालय द्वारा तथ्यों पर गौर ना करते हुये आदेश पारित किया है जो सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब व बहस सुने आदेश पारित किया गया है तथा वाद पत्र मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सी पी सी विचाराधीन होने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट का निस्तारण करना गैर कानूनी है न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत है क्योकि अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सी पी सी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने से पूर्व वाद पत्र में किसी भी प्रकार का अन्य आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही गैर कानूनी होने से खारिज योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 लगायत 8 में वर्णित भूमियों के सम्बंध में अपीलांट व अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध रिकॉर्ड व मोके की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि वह अप्रार्थी संख्या 15 बालमुकन का पुत्र तथा अप्रार्थी संख्या 1 रूघनाथ का पौत्र है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का तर्क है कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 लगायत 8 में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति होने एवं प्रार्थी के अप्रार्थी कम 1 का सहदायिक पौत्र होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से हम अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम रीछड़िया तहसील रामगंजमण्डी की खाता संख्या 303 की किता 4 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खाता संख्या 168 की किता 2 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खाता संख्या 305 की किता 1 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खाता संख्या 176 की किता 1 रकबा 1.72 हैक्टेयर, खाता संख्या 420 की किता 1 रकबा 0.65 हैक्टेयर तथा जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम छत्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खाता संख्या 168 की किता 7 रकबा 2.64 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अभिलिखित खातेदार नहीं है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा रूघनाथ की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में

ऐसा कोई दस्तोवज/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे वादग्रस्त आराजी का पैतृक सम्पत्ति होना प्रकट होता हो। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ना तो वादग्रस्त आराजी का खातेदार है और ना ही उनकी ओर से ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे उनका वादग्रस्त आराजी में कब्जा कायत होना प्रकट होता हो। चूंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा अप्रार्थी संख्या 1 अपीलांट रूघनाथ एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। कोई विपरीत साक्ष्य नही होने की स्थिति में खातेदारी की भूमि में अभिलिखित खातेदार का ही कब्जा काश्त होना माना जाता है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वयं के कब्जे काश्त होने के समर्थन में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में अभिलिखित खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 अपीलांट रूघनाथ का ही कब्जा काश्त माना जावेगा। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी को स्वयं पैतृक सम्पति होने के आधार पर हक अधिकारों का अनुतोष चाहा है। हमारे मत में वादग्रस्त आराजी के पैतृक सम्पत्ति होने तथा पैतृक सम्पत्ति के आधार पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथित हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में साक्ष्योपरांत ही किया जाना संभव है। अतः वर्तमान स्तर पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष अपीलांट के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.02.2025 में अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 18.09.2023 को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक पुख्ता किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 21.02.2025 निरस्त किए जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 33/2023 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2025 निरस्त किया जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा